संख्या-846/71-1-2014-जी-234/2007

प्रेषक,

शिवराम त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में मेडिकल कालेज, बांदा हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2013/985, दिनांक 04.03.2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1715/71-1-2013-जी-234/2007, दिनांक 10.07.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में रू0 15,00,00,000/-(रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) तथा मेडिकल कालेज, सहारनपुर में रू0 35,00,00,000/-(रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) कुल रू0 50,00,00,000/-(रूपये पचास करोड़ मात्र) की बचत की धनराशि को मेडिकल कालेज, बांदा के अधूरे निर्माण कार्य हेतु रू0 50,00,00,000/-(रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देख-रेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराया जाय।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रधानाचार्य द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम् आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाय।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं, सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति की देख-रेख में प्राप्त सामग्री का उपभोग/निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति(ई0एफ0सी0) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकि स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव की लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रायोजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि मानक मद "24-वृहत निर्माण कार्य" से स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
9. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।
10. यह धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन/महालेखाकार, इलाहाबाद को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-21-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र-बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3/828/दस-2014, दिनांक 25 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-846(1)/71-1-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर/बांदा।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, मेडिकल कालेज, सहारनपुर/कानपुर/बांदा।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
10. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की बेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।